

तहसीलदार का कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... तिहावली

**-: आदेश :-**

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... तिहावली ..... व भू.अ.नि. तिहावली की रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ..... सदीनसर ..... तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रता संख्या 98 नया 96 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रसं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1-	सदीनसर	98 नया 96 पुराना	खातदारान समस्त जाति काट	खातदारान समस्त जाति मेधावाल दुरुस्त
			रहन व कम्प प्रविष्टि अभाव	

क्रमांक :- 1917  
31/5/18

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपपीठासीन अधिकारी  
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)  
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)  
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
ग्राम पंचायत

26/

02